25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	-	रु0 [illegible],44,740/-
बाजार मूल्य	-	रु0 5,22,500/-
अदा किये गये स्टाम्प शुल्क	-	रु0 55,000/-

1.	भूमि का प्रकार	-	कृषि
2.	तहसील	-	बिलारी
3.	ग्राम	-	[illegible] एवं [illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण	-	[illegible]

25000

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0.380 हैक्टेयर ग्राम- [illegible]

[illegible] जिला लखनऊ

5.	मापन की ईकाई	-	हैक्टेयर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.380 हैक्टेयर
7.	सड़क की स्थिति	-	[illegible] लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	-	भूमि
9.	पेड़ों की स्थिति	:	कोई पेड़ नहीं है।
10.	बोरिंग/ कुआं आदि	-	कुछ भी नहीं है।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 321</u>

पूरब	:	खसरा नं0- [illegible]
पश्चिम	:	खसरा नं0- [illegible]

25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-3-

पूरब : [illegible] नं0- [illegible]
पश्चिम : [illegible] नं0- [illegible]

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
1. प्रेमचन्द 2. मथुरा 3. राजू पुत्रगण स्व0 महावली 4. श्रीमती फुलारा पत्नी स्व0 महावली निवासीगण ग्राम [illegible] एवं पोस्ट [illegible], परगना बिन्दकी, तहसील व जिला [illegible] ।	:	रामबाबू पुत्र रामबली निवासी ग्राम मिर्जापुर सिरारी पो0 [illegible], तहसील व जिला फतेहपुर ।

मथुरा

राजू

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

0544-352452

व्यवसाय- कृषि		व्यवसाय- कृषि

यह विक्रय विलेख 1. प्रेमचन्द्र 2. मथुरा 3. पप्पू पुत्रगण स्व0 महाबली 4. श्रीमती कुमारा पत्नी स्व0 महाबली निवासीगण ग्राम गुलुम्मनगर उर्फ [illegible], परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेतागण कहा गया है एवम् रामबाबू पुत्र रामपती निवासी ग्राम मिर्जापुर मिटारी पोस्ट गबनौंच, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या 371 रकबा 0.380 हेक्टेयर ग्राम- गुमुलनगर उर्फ चौपालपुर परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व काश्तकार है तथा उपरोक्त सम्पत्ति कम्प्यूटरीकृत खाता खतौनी क्रम संख्या 00074 के अनुसार आदेश दिनांक 22.07.2004 के बाद मृतक महादेवी पुत्र ... के स्थान पर विक्रेतागण का नाम बतौर वारिस दर्ज है। भूमि विक्रेतागण के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेतागण के नाम का अमल दरआमद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काश्तकार है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरकारी भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय से पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उनके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद या वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के तत्कालिक कुल विक्रय मूल्य, रू0 8,44,740/- के प्रतिफल में जिसका

उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त जायदाद पर विक्रेतागण तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे । विक्रेतागण व उनके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उनके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे व अधिकार या लाभ से निकल जाये तो क्रेता उनके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता और उनके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे ।

यह कि विक्रेतागण यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ

तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों मे अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई कर्जा किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व अदा करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी ।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुलुकनगर उर्फ बसिरामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अधिसूचित ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेअर है जो हिसाब से विक्रीत भूमि 0.380 हेक्टेअर इस प्रकार भूमि की कुल मालियत 5,22,500/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की मालियत मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 80,000/- अंकन स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नही है तथा किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां नहीं चल रही है न कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अन्य प्रमुख पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनो

अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है ।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेतागण को रू0 2,11,185/- द्वारा चैक संख्या-131622 दिनांकित 14.09.2006 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

2. विक्रेतागण को रू0 2,11,185/- द्वारा चैक संख्या-131623 दिनांकित 14.09.2006 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

3. विक्रेतागण को रू0 2,11,185/- द्वारा चैक संख्या-131624 दिनांकित 14.09.2006 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

4. विक्रेतागण को रू0 2,11,185/- द्वारा चैक संख्या-131625 दिनांकित 14.09.2006 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेतागण को कुल विक्रय मूल्य 8,44,790/- (रुपया आठ लाख चौवालिस हजार सात सौ नब्बे मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ:
दिनांक : 14.09.2006
गवाह :
1.

विक्रेतागण

क्रेता

2.

टाईपकर्ता

(संजय कुमार सिंह)
3/413, विकास नगर, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(वेंकट रमन सिंह),
एडवोकेट

विलेख पत्र

[illegible] 4,00,000.00 [illegible] 20 [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] दिनांक 15/9/2006 [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] किया।

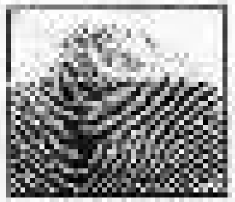

[illegible] [illegible]

[illegible] (प्रथम)

[illegible]

15/9/2006

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

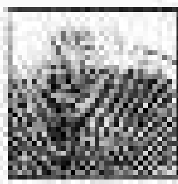

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

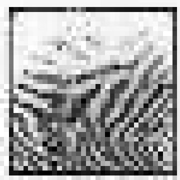

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

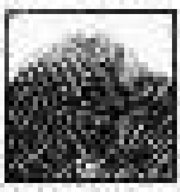

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

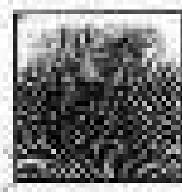

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

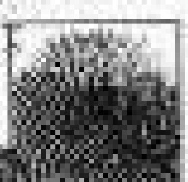

खसरा नं॰ - 271

रकबा 0.2830 हे॰

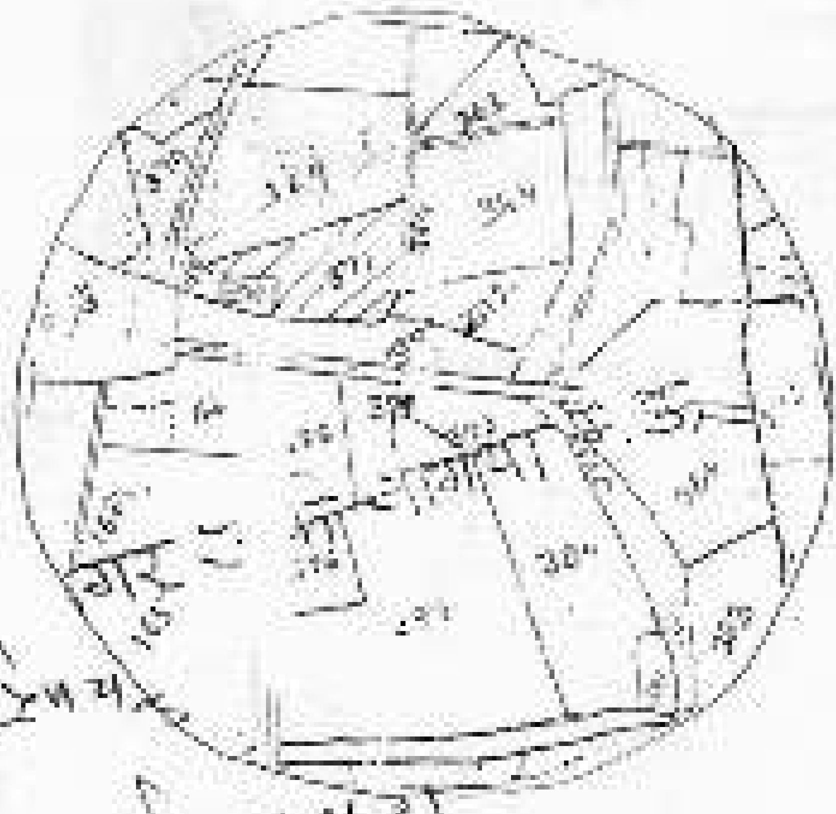

विक्रेता

क्रेता

[illegible] विवाह ।

जिनके पक्षकार थे [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

व श्री सुनील कुमार

पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

के बीच ।

[illegible] के अधीनों के विवाह उनके [illegible] किया गया है

ए. के. श्रीवास्तव
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- [illegible] S/o राम महावीर
नि० [illegible]

बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- [illegible] S/o राम महावीर
नि० उपरोक्त

बांये हाथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

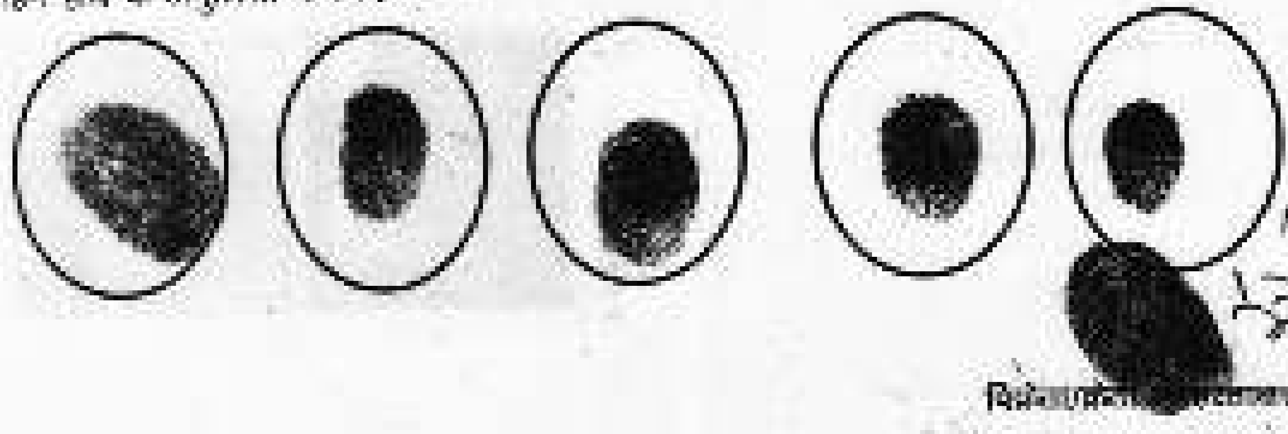

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

বিক্রেতা

Registration No 7818 Year 2006 Book No. I

0101 [illegible]

[illegible]

0102 [illegible]

[illegible]

0103 [illegible]

[illegible]

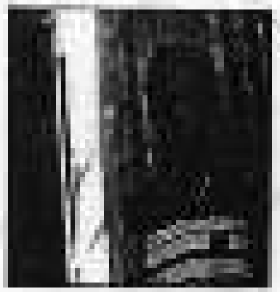

0104 [illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बांये हाथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No 7818 Year 2006 Book No. 1

3201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- रामनाथ S/o रामदत्त
नि० मिर्जापुर बिहारी पो० नवगाँव सा० (जि०) फतेहपुर

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- ....

....

बायें हाथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 15/09/2006 को

बही सं 1 जिल्द सं 7800

पृष्ठ सं 305 से 330 पर क्रमांक 7818

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ए. के. श्रीवास्तव

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

15/9/2006